...यालय सहायक कलक्टर पदेन उपखण्ड अधिकारी, बज्जू, जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारीः– श्री सांवरमल रैगर आरएएस

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 54/2025

सुखराम पुत्र छोगाराम जाति बिश्नोई साकिन गौडू तहसील बज्जू जिला बीकानेर।

........प्रार्थी

बनाम

1. जसुराम पुत्र बुधाराम जाति बिश्नोई साकिन गौडु तहसील बज्जू जिला बीकानेर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व तहसील बज्जू।

........अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251 ए

उपस्थितः–

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री प्रेमरतन बिश्नोई
2. अप्रार्थी सं 1 की ओर से लिखित सहमति
3. पैरोकार राज

–:निर्णयः–

दिनांकः–25/03/2026

प्रार्थी सुखराम पुत्र छोगाराम जाति बिश्नोई, साकिन गौडू, तह बज्जू जिला बीकानेर द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251 ए के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी खेती पेशा व्यक्ति है, जिसकी खातेदारी भूमि चक 6 जीएसएमआर तहसील गौडू के मुरबा नम्बर 42/29 के किला नम्बर 6, 14 ता 17, 24 व 25 प्रत्येक में 0.2529 है., मुरबा नम्बर 42/30 के किला नं 5 में 0.2529 है., मुरबा नं 42/37 किला नं 10, 11, 19 ता 23 में प्रत्येक 0.2529 है., मुरबा नं 42/38 किला नं 1, 2 प्रत्येक में 0.2529 है. कुल किता 17 में 4.2993 है. कमाण्ड/अनकमाण्ड स्थित है, जिस पर प्रार्थी ढाणी व कुण्ड बनाकर परिवार सहित निवास करता आ रहा है। अप्रार्थी संख्या 1 के धारण की खातेदारी भूमि चक 6 जीएसएमआर तहसील बज्जू के मुरबा नं 42/11 किला नं 15 में 0.2529 है., मुरबा नं 42/19 के किला नं 7 ता 9, 11 ता 15, 18 ता 20 प्रत्येक में 0.2529 है., मुरबा नं 42/38 किला नं 3 ता 10, 12 ता 18, 24 प्रत्येक में 0.2529 है., मुरबा नं 42/46 किला नं 1/2 में 0.2150 है. कुल किता 29 में 7.2962 है. कमाण्ड/अनकमाण्ड स्थित है। अप्रार्थी संख्या 1 के खेत मुरबा नं 42/46 के किला नं 1 में स्वीकृतशुदा कटानी मार्ग है, जिससे प्रार्थी अपने खेत मुरबा नं 42/38 के किला नम्बर 2 में स्थित ढाणी में पहुंचने व आगवामन हेतु अप्रार्थी संख्या 2 के खेत मुरबा नम्बर 42/38 के किला नं 3, 4, 5 के उत्तर दिशा में पूर्व से पश्चिम होकर अपने खेत में प्रवेश करता है, यही मार्ग प्रार्थी को उसके खेत में पहुंच हेतु एक मात्र मार्ग है। इसके अलावा प्रार्थी के पास अन्य कोई भी वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी को अपने खेत मुरबा नं 42/38 के किला नं 2 से कटानी मार्ग मुरबा नं. 42/46 के किला नं 1 तक पहुंच हेतु व अपने खेत में आवगमन हेतु अप्रार्थी सं 1 के खेत मुरबा नं 42/38 के किला नं 3 ता 5 की उत्तर दिशा में पूर्व से पश्चिम होकर पहुंचना होता है। यह एक मात्र मार्ग है तथा उक्त मार्ग वर्तमान में चालू है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी सं. 1 से कई बार समझाईश भी की एवं रास्ते के रूप में जितना क्षेत्रफल काम में आ रहा है, उसके बदले प्रतिफल देने की बात अप्रार्थी से की परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 नहीं माना और प्रार्थी को रास्ता देने से इन्कार कर दिया। प्रार्थी को अपने खेत में अवागामन हेतु $16_{1/2}$ फुट चौडाई (2 बिस्वा) के रास्ते की आवश्यकता है, जिससे कि प्रार्थी अपने

उपखण्ड अधिकारी
बज्जू जिला–बीकानेर

खेत में सुगमता से आवागमन कर सके व कृषि कार्य कर सके, जिस हेतु जिस प्रकार के प्रतिकर की नियमानुसार आवश्यकता है। प्रार्थी अप्रार्थी सं. 1 को देने के लिये सदैव तत्पर है। प्रार्थी के पास अपने खेत में आवागमन व कृषि कार्य हेतु उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होने से उक्त रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी को कटानशुदा मार्ग मुरबा नं. 42/46 के किला नं. 1 से अपने खेत मुरबा नं 42/38 के किला नं. 2 में पहुंच हेतु अप्रार्थी संख्या 1 के खेत मुरबा नं. 42/38 के किला नम्बर 3 ता 5 में पूर्व से पश्चिम उत्तर दिशा में 2–2 बिस्वा का $16_{1/2}$ फुट चौडाई का रास्ता दिलाया जाकर अप्रार्थी संख्या 2 को उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने का आदेश फरमाया जावें।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई। अप्रार्थी सं 1 ने उपस्थित होकर लिखित सहमति प्रदान की। प्रत्युत्तर में तहसीलदार (राजस्व), बज्जू जिला बीकानेर के पत्रांक रीडर/2026/307 दिनांक 09.03.2026 को विवादित भूमि की मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसके अनुसार मुताबिक राजस्व रिकार्ड चक 6 जीएसएमआर के मुरबा नं 42/38 व 42/37 का मौका देखा गया। मौके पर मुरबा नं 42/46 में पश्चिमी सींव पर रास्ता चालू है तथा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। वर्तमान में प्रार्थी सुखराम मुरबा नं 42/38 के किला नं 3, 4, 5 के उतरी सींव से अपनी खातेदारी भूमि मुरबा नं 42/38 के किला नं 1, 2 तक आवागमन करता है। प्रार्थी के लिये निकटतम रास्ता यही है। प्रार्थी को मुरबा नं 42/38 के किला नं 3, 4, 5 में से उत्तरी सींव पर नवीन रास्ता नियमानुसार दिया जाना उचित है।

उभय पक्ष की बहस समायत की गयी। पत्रावली में उपलब्ध जवाब व दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया, स्टेट की ओर से प्रस्तुत जवाब में चक 6 जीएसएमआर के मु.नं. 42/38 के किला नं 3, 4, 5 में से उत्तरी सींव पर 2–2 बिस्वा का आम रास्ता स्वीकृत किये जाने की अनुशंषा की है। अप्रार्थीगण की ओर से लिखित सहमति प्रदान कर अनापत्ति जाहिर की है।

अतः चक 6 जीएसएमआर के मु.नं. 42/38 के किला नं 3, 4, 5 की उत्तरी सींव पर पूर्व से पश्चिम की ओर 165' X 3' X 20' = 9900 वर्गफीट का आम रास्ता स्वीकृत किया जाकर सार्वजनिक रास्ता घोषित किया जाता है। तहसीलदार बज्जू प्रार्थी द्वारा डीएलसी दर की दुगुनी राशि की टीआरए से गणना करवाकर पहले राशि अप्रार्थीगण के पक्ष में जरिये डीडी से जमा करवाने के पश्चात नामान्तरण की कार्यवाही सम्पादित करें, जिसकी न्यायालय में इसकी एक प्रति पेश करेगें। तहसील रिपोर्ट व पटवारी द्वारा प्रस्तुत मौका फर्द रिपोर्ट मय नजरी नक्शा दिनांक 30.07.2025 को इस आदेश के साथ अभिन्न अंग समझा जावे। तहसीलदार बज्जू मौके पर रास्ता खोलने की कार्यवाही कर पालना रिपोर्ट मय मौका फर्द व नजरी नक्शा (तरमीम) के साथ पेश करें। निर्णय की प्रतिलिपि तहसीलदार बज्जू को पालना हेतु मय तहरीर के भेजी जाकर पालना रिपोर्ट मंगवाई जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 24.03.2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(सांवरमल रैगर)
उपखण्ड अधिकारी
बज्जू

उपखण्ड अधिकारी
बज्जू जिला-बीकानेर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बज्जू (बीकानेर)